न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/27)

रामनिवास पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. चिरंजीलाल पुत्र लिच्छीराम जाति अग्रवाल साकिन वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री अजय कुमार ओझा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 09.11.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार भादरा के निर्णय दिनांक 19.09.2019 में संशोधित निर्णय दिनाक 03.10.2019 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट रामनिवास ने दिनांक 19.03.2019 को तहसीलदार भादरा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुताबिक वसीयत के आधार पर प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि का इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार भादरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.09.2019 द्वारा उक्त वसीयत का वाद न्यायालय मे विचाराधीन होने व वसीयत को विवादित मानते हुए वसीयत को खारित कर दिया। उसके बाद तहसीलदार भादरा द्वारा दिनाक 03.10.2019 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया। संशोधित निर्णय दिनाक 03.10.2019 के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूल निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय में लम्बित अपील सं. 22/2022 में दिनांक 15.09.2020 को उक्त अपील को सलग्न करने के आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर मे निगरानी एल आर/418/2021 अनुवान चिरजीलाल बनाम रामनिवास वगैरह प्रस्तुत की गई जिसका निर्णय दिनाक 20.04.2022

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

को निगरानी स्वीकार कर इस न्यायालय का आदेश दिनांक 15.09.2020 को अपास्त कर प्रार्थी द्वारा दो अलग अलग आदेश के विरूद्व प्रस्तुत दोनो अपीलो को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर दोनो को समेकित की जाकर एक साथ न्यायिक कार्यवाही करने के आदेश इस न्यायालय को दिये। माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की पालना मे दिनांक 16.05.2022 को दोनो अपीलो को अलग अलग दर्ज रजिस्टर कर आगाामी कार्यवाही हेतु रखी गई।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं पर बहस कर कहा कि अपीलान्ट ने तहसीलदार भादरा के संमक्ष वसीयत के मुताबिक नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता लिच्छीराम निवासी भादरा के चक 5 बी.एच.डी. के मुरब्बा नं. 18 के किला नं. 11,12,13,18 ता 23 की कुल 2.2270 हैक्टेयर भूमि अपीलान्ट के पक्ष में उप पंजीयक भादरा के समक्ष तस्दीक करवाई थी जो दिनांक 09.08.2016 को पंजीबद्व है। अपीलान्ट क पिता लिच्छीराम की मृत्यु दिनांक 07.02.2019 को हो चुकी है, इसलिए प्रार्थी के पक्ष में वसीयत अनुसार इन्तकाल दर्ज किया जावे तथा वसीयत मे दर्ज भूमि किसी प्रकार से विवादित नही है। अपीलान्ट ने दैनिक समाचार भास्कर में प्रकाशित सार्वजनिक विज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट सं. 1 के समक्ष पेश कि एवं पटवारी हल्का गांधी बडी ने वसीयत से सम्बन्धित रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वसीयत दर्ज गवाहान ने शपथ पत्र पर बयान पेश किये तथा वसीयत बाबत चिरजीलाल ने ऐतराज पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2019 को पटवारी हल्का व गवाहान के बयान को नजर अन्दाज करते हुए वसीयत को खारिज कर दिया। उसके बाद तहसीलदार भादरा द्वारा संशोधित निर्णय दिनांक 03.10.2019 को वसीयत खारिज की जाती है के स्थान पर प्रार्थना पत्र वसीयत बाबत नामान्तरकरण खारिज किया जाता है पढा जावे का आदेश पारित कर दिया। निर्णय दिनाक 19.09.2019 अपील के द्वारा बदला जा सकता है या रिव्यू के द्वारा ही बदला जा सका है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी प्रक्रिया को अपनाये अवैध रूप

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

दिनाक 03.10.2019 को संशोधित निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुना नही गया, ना ही नोटिस दिया गया। केवल रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के अनुसार उसी दिन निर्णय पारित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावे व वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार भादरा को आदेश प्रदान करें। अपीलान्ट के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2011 पृष्ठ 712, RRD 2002 पृष्ठ 12–13, RRT 2012 (1) पृष्ठ 393, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस कर कहा कि तहसीलदार भादरा ने सहवन से अपने निर्णय दिनाक 19.09.2019 में वसीयत प्रार्थना पत्र खारिज करने के स्थान पर वसीयत को खारिज कर दिया। अपीलान्ट जिस वसीयत का हवाला देकर उक्त भूमि का इन्तकाल अपने नाम दर्ज करवाना चाहता है वह विवादित है। हमने उक्त वसीयत को अकृत शून्य व अवैध घोषित करवाने के लिए वाद सिविल कोर्ट में पेश किया हुआ है। सिविल कोर्ट में वसीयत की सत्यता की जांच हो जायेगी। इसी विषय वस्तु की अपील सिविल कोर्ट में चल रही है, जब तक सिवलि कोर्ट से उक्त वसीयत बाबत निर्णय नही हो जाता तब तक इस अपील की कार्यवाही सिविल कोर्ट के निर्णय तक रोकी जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार भादरा के आदेश दिनांक 03.10.2019 के विरूद्व दिनांक 14.09.2020 को प्रस्तुत की गई। अपील को अन्दर मियाद स्वीकार करने हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका खण्डन/प्रति शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है अतः तकनीकी आधार पर निर्णय के स्थान पर मेरिट पर निर्णय हेतु अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रस्तुत आदेश का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि यह मूल निर्णय दिनाक 19.09.2019 का संशोधन मात्र है नवीन निर्णय

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नही माना जा सकता है। धारा 152 सी.पी.सी में निर्णय लेखन पश्चात लिपिकीय त्रुटियो को दूर करने के प्रावधान विधमान है तथा मूल निर्णय दिनांक 19.09.2019 के विरूद्व अपील अलग से प्रस्तुत की जा चुकी है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन आदेश अपील योग्य नही होने के कारण अपील संधारण योग्य नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर